8

न्यायालय तहसीलदार कठूमर (अलवर) राज.

सरकार जरिये रिपोर्ट पटवारी हल्का ....सगुनी.... बनाम ....राजूड/o हडीराम मीणा

प्रकरण अन्तर्गत धारा 91एलआर एक्ट

प्रकरण संख्या – 59/2018

निर्णय दिनाँक :– 26/3/19

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम ....सगुनी.... की आ.ख.न. 810/1 कुल रकबा 0-21 किस्म जमीन ....गै.मु. रास्ता.... में से ....0.03.... रकबे पर श्री ....राजूड/o हडीराम मीणा.... पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर ....जोत कर.... कब्जा कर लिया है, इस पर पटवारी हल्का ....सगुनी.... द्वारा दिनाँक ....16/8/18.... को उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मय ताईद भू.अ.निरी. ....खेरलीरेल.... के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी ....राजूड/o हडीराम मीणा.... जाति ....मीणा.... निवासी ....सगुनी.... को भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की तामील कराई गई। नोटिस बाद तामील प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अतिक्रमी ....राजू.... उपस्थित आया। जवाब नोटिस पेश किया जो शामिल पत्रावली है।

उक्त रकबा आ.ख.न. ....810/1.... रकबा ....0-21.... में से ....0-03.... रकबे किस्म ....गै.मु. रास्ता.... है जो नियमन के योग्य नहीं है लिहाजा गैरसायल को अतिक्रमित रकबे से बेदखल किया जाने के आदेश दिये जाते है एवं दण्ड स्वरूप लगान ....6 Paise.... का 50 गुणा ....3 Rs (Three).... रुपये पैनल्टी आरोपित की जाती है गांवा कायमी हेतु टीआरए को लिखा जावे, पैनल्टी वसूली एवं बेदखली हेतु हल्का पटवारी ....सगुनी.... भू.अ.निरी. ....खेरलीरेल.... को लिखा जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

ह०

तहसीलदार
कठूमर तहसीलदार
कठूमर, अलवर (राज.)

प्रतिलिपि :– प. 8 को पालनार्थ
खसरा वही जमाबंदी पेश हो।